उत्तराखण्ड सरकार, अर्थ एवं संख्या विभाग, संख्याः 48० / स्था०(वा०स्था०अधिनियम–2017) / (सं0–1वर्ष–2018) / 2023 देहरादूनः दिनांक**» १** जून, 2023

कार्यालय-आदेश

उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग— 2, देहरादून के ई— फाईल संख्याः 1/115324 दिनांकः 18 अप्रैल, 2023 तथा शासनादेश संख्याः 1/120994/2023/xxx(2)/E-33080 दिनांकः 10 मई, 2023 द्वारा कार्मिकों के वार्षिक स्थानान्तरण सत्रः 2023—24 में जारी दिशा—निर्देश के तहत् वार्षिक स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम—2017 (सं0—01 वर्ष—2018) के सापेक्ष निम्न तालिका में अंकित अपर सांख्यिकी अधिकारियों का स्थानान्तरण उनके नाम के समक्ष स्तम्भ— 4 में अंकित केन्द्र में किया जाता है:—

季 0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती का	स्थानान्तरण के उपरान्त	आधार
सं०	(सर्व श्री / श्रीमती / सुश्री)	जनपद / केन्द्र	नवीन तैनाती का	
			जनपद / केन्द्र	
01	02	03	04	05
01	भूपेन्द्र सिंह राणा	जनपद नैनीताल जनपद बागेश्वर		जनहित
02	राजेश्वरी गर्ब्याल	कुमॉयू मण्डल, हल्द्वानी	जनपद चम्पावत	जनहित
03	किरन शर्मा	अर्थ एवं संख्या निदेशालय	जनपद उत्तरकाशी	जनहित
04	अरविन्द कुमार	जनपद पौडी़	अर्थ एवं संख्या निदेशालय,देहरादून (कार्यहित में बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यालय में सम्बद्ध)	जनहित
05	योगेन्द्र कुमार शुक्ल	जनपद चम्पावत	कुमॉयू मण्डल, हल्द्वानी	जनहित
06	शालू भटनागर	अर्थ एवं संख्या	जनपद हरिद्वार	अनुरोध के
00		निदेशालय, देहरादून		आधार पर
07	नवीन कुमार	जनपद उत्तरकाशी	जनपद देहरादून	अनुरोध के
07	,			आधार पर
08	मनोज कुमार	जनपद उत्तरकाशी	अर्थ एवं संख्या निदेशालय,	अनुरोध के
			देहरादून	आधार पर

2— सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी कृपया आदेश जारी होने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालन आख्या से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।



- 3— स्थानान्तरित कार्मिक कार्यभार ग्रहण अविध (Joining Time) का उपभोग नवीन तैनाती के केन्द्र पर कार्यभार ग्रहण के उपरान्त ही करेंगे।
- 4— स्थानान्तरित कार्मिक कार्यमुक्त के उपरान्त केवल कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का ही उपमोग करेंगे, संबंधित कार्मिक को अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

5— जिन कार्मिकों का स्थानान्तरण अनुरोध पर किया जा रहा है उन्हें कार्यभार ग्रहण करने हेतु वास्तविक समय देय होगा, परन्तु यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

सुशील कुमार)

संख्याः 480 / स्था० (वा०स्था०अधिनियम-2017) / (सं०-1 वर्ष -2018) / 2023 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2— संयुक्त निदेशक, बीस सूत्री कार्यक्रम, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- संयुक्त निदशक, अर्थ एवं संख्या, कुमायूँ मण्डल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
- 4- संयुक्त निदेशक, अर्थ एवं संख्या, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
- 5— मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, साईबर कोषागार, लक्ष्मी रोड, देहरादून / हल्द्वानी / बागेश्वर / चम्पावत / जनपद देहरादून / उत्तरकाशी / नैनीताल / हरिद्वार / पौडी /
- 6— अर्थ एवं संख्याधिकारी, देहरादून/हल्द्वानी/बागेश्वर/चम्पावत/उत्तरकाशी/नैनीताल/हरिद्वार/पौडी/ आहरण-वितरण अधिकारी, निदेशालय।
- 7- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा सम्बन्धित अधिकारी।
- 8— वेब इन्फोरमेशन अधिकारी, अर्थ एवं संख्या निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

9- व्यक्तिगत / स्थापना पत्रावली।

्रअपर निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार, अर्थ एवं संख्या विभाग, संख्याः **५८3** / स्था०(वा०स्था०अधिनियम–2017) / (सं0–1वर्ष–2018) / 2023 देहरादूनः दिनांकः **६९** जून, 2023

कार्यालय-आदेश

कार्यालय स्मृति पत्र संख्याः 2257/स्था०ढांचा (अ०एवं सं०)/2008 दिनांकः 25 जनवरी, 2023 द्वारा मिनिस्ट्रियल ढाँचे में सृजित पदों के प्रतिस्थापन में आंशिक संशोधन किया गया था।

उक्त के कम में निम्न तालिका में अंकित कार्मिकों को प्रतिस्थापित पद के सापेक्ष उनके नाम के समक्ष स्तम्भ- 4 में अंकित केन्द्र में तैनात किया जाता है:--

क्र0सं0	कार्मिक का	वर्तमान तैनाती	प्रतिस्थापन के उपरान्त	आधार	अभ्युक्ति
	नाम/पदनाम	का	नवीन तैनाती का		
		जनपद / केन्द्र	जनपद / केन्द्र		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री राकेश चन्द्र	जनपद अल्मोडा	अर्थ एवं संख्या		प्रशासनिक
	बाजपेयी,		निदेशालय,	जनहित	अधिकारी का पद
	प्रशासनिक अधिकारी		देहरादून	जनाहरा	प्रतिस्थापित होने
	AKIIKII II SII II II		C.		के फलस्वरूप
2	श्री सुरेश चन्द्र शर्मा,	जनपद पौडी़	अर्थ एवं संख्या		प्रशासनिक
	प्रशासनिक अधिकारी		निदेशालय	जनहित	अधिकारी का पद
	XIIIII III GII II II		देहरादून	ואַפוויוט	प्रतिस्थापित होने
					के फलस्वरूप
3	श्रीमती शालिनी राज,	जनपद	जनपद नैनीताल		प्रधान सहायक
3	प्रधान सहायक	ऊधमसिंह नगर		जनहित	का पद
	Adia (idida)	O/SI II II C		जगहत	प्रतिस्थापित होने
					के फलस्वरूप

- 2— सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी आदेश जारी होने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालन आख्या से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।
- 3— पदस्थापन के फलस्वरूप तैनात कार्मिक कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नवीन तैनाती के केन्द्र पर कार्यभार ग्रहण के उपरान्त ही उपभोग करेंगे।
- 4— पदस्थापन के फलस्वरूप तैनात कार्मिक कार्यमुक्त के उपरान्त केवल कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का ही उपभोग करेंगे, संबंधित कार्मिक को अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

ह0/-(सुशील कुमार) अनिदेशक

संख्याः 4 % 🛪 / स्था० (वा० स्था० अधिनियम – 2017 (सं० – 1) वर्ष – 2018) / 2023 तददिनांकितः

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- संयुक्त निदेशक, बीस सूत्री कार्यकम, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- संयुक्त निदशक, अर्थ एवं संख्या, कुमायूँ मण्डल हल्द्वानी (नैनीताल)।
- 4- संयुक्त निदेशक, अर्थ एवं संख्या, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
- 5— मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, साईबर कोषागार, लक्ष्मी रोड, देहरादून / हरिद्वार / अल्मोड़ा / पौड़ी / ऊधमसिंह नगर / नैनीताल / ऊधमसिंह नगर ।
- 6— अर्थ एवं संख्याधिकारी, पौडी / हरिद्वार / नैनीताल / अल्मोडा / ऊधमसिंह नगर।
- 7- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा सम्बन्धित अधिकारी।
- वब इन्फोरमेशन अधिकारी, अर्थ एवं संख्या निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

9- व्यक्तिगत / स्थापना पत्रावली।

निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार, अर्थ एवं संख्या विभाग, संख्या:492/स्था0(वा0स्था0अधिनियम–2017)/(सं0–1वर्ष–2018)/2023 देहरादूनः दिनांकः **७**९ जून, 2023

कार्यालय-आदेश

उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग—2, देहरादून के ई—फाईल संख्याः 1/115324 दिनांकः 18 अप्रैल, 2023 तथा शासनादेश संख्याः 1/120994/2023/xxx(2)/E-33080 दिनांकः 10 मई, 2023 द्वारा कार्मिकों के वार्षिक स्थानान्तरण सत्रः 2023—24 हेतु जारी दिशा—निर्देश के तहत् वार्षिक स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम—2017 (सं0—01 वर्ष—2018) के सापेक्ष निम्न तालिका में अंकित प्रधान सहायकों का पारस्परिक स्थानान्तरण (अनुरोध पर) उनके नाम के समक्ष स्तम्भ— 4 में अंकित केन्द्र में किया जाता है:—

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती का जनपद/केन्द्र	स्थानान्तरण के उपरान्त नवीन तैनाती का जनपद/केन्द्र	आघार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री राजन सिंह	जनपद हरिद्वार	जनपद बागेश्वर	पारस्परिक स्थानान्तरण (अनुरोध पर)
2	श्री खीमपाल सिंह	जनपद बागेश्वर	जनपद अल्मोडा	पारस्परिक स्थानान्तरण (अनुरोध पर)

- 2— सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी आदेश जारी होने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालन आख्या से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।
- 3— स्थानान्तरित कार्मिक कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नवीन तैनाती के केन्द्र पर कार्यभार ग्रहण के उपरान्त ही उपभोग करेंगे।
- 4— स्थानान्तरित कार्मिक कार्यमुक्त के उपरान्त केवल कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का ही उपभोग करेंगे, संबंधित कार्मिक को अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

5— उक्त कार्मिक का स्थानान्तरण अनुरोध पर किया जा रहा है, इसलिये उन्हें कार्यभार ग्रहण करने हेतु वास्तविक समय देय होगा, परन्तु यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

> ्रापाल पुनार) अनिदेशक

संख्याः 481/स्था०(वा०स्था०अधिनियम-2017(सं०-1 वर्ष -2018)/2023 तददिनांकितः

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- संयुक्त निदेशक, बीस सूत्री कार्यक्म, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- संयुक्त निदशक, अर्थ एवं संख्या, कुमायूँ मण्डल हल्द्वानी (नैनीताल)।
- 4- संयुक्त निदेशक, अर्थ एवं संख्या, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
- 5— मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार / बागेश्वर / अल्मोडा ।
- 6— अर्थ एवं संख्याधिकारी, हरिद्वार / बागेश्वर / अल्मोडा ।
- 7- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा सम्बन्धित अधिकारी।

8— वेब इन्फोरमेशन अधिकारी, अर्थ एवं संख्या निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

9- व्यक्तिगत / स्थापना पत्रावली।

८।अपर निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार, अर्थ एवं संख्या विभाग, संख्याः **५९ ।** /स्था०(वा०स्था०अधिनियम–२०१७) / (सं०–१वर्ष–२०१८) / २०२३ देहरादूनः दिनांकः**०९** जून, २०२३

कार्यालय-आदेश

उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग—2, देहरादून के ई—फाईल संख्याः 1/115324 दिनांकः 18 अप्रैल, 2023 तथा शासनादेश संख्याः 1/120994/2023/xxx(2)/E-33080 दिनांकः 10 मई, 2023 द्वारा कार्मिकों के वार्षिक स्थानान्तरण सत्रः 2023—24 हेतु जारी दिशा—निर्देशों के तहत् वार्षिक स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम— 2017 (सं0—01 वर्ष—2018) के सापेक्ष निम्न तालिका में अंकित वरिष्ठ सहायक का स्थानान्तरण उनके नाम के समक्ष स्तम्भ— 4 में अंकित केन्द्र में किया जाता है:—

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती का जनपद/केन्द्र	स्थानान्तरण के उपरान्त नवीन तैनाती का जनपद/केन्द्र	आधार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	श्रीमती प्रियंका राजे	जनपद—उधमसिंह	20 सूत्री कार्यकम,	अनुरोध पर
		नगर	देहरादून	

- 2— सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी आदेश जारी होने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालन आख्या से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।
- 3— स्थानान्तरित कार्मिक कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नवीन तैनाती के केन्द्र पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही करेंगे।
- 4— स्थानान्तरित कार्मिक कार्यमुक्त के उपरान्त केवल कार्यमार ग्रहण अवधि (Joining Time) का ही उपमोग करेंगे, संबंधित कार्मिक को अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

5— संबंधित कार्मिक का स्थानान्तरण अनुरोध पर किया जा रहा है, इसलिये उन्हें कार्यभार ग्रहण करने हेतु

वास्तविक समय देय होगा, परन्तु यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

'

संख्याः 4 %। / स्था०(वा०स्था०अधिनियम-2017) / (सं०-1 वर्ष -2018) / 2023 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- संयुक्त निदेशक, बीस सूत्री कार्यक्रम, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- संयुक्त निदशक, अर्थ एवं संख्या, कुमायूँ मण्डल्, हल्द्वानी (नैनीताल)।
- 4- संयुक्त निदेशक, अर्थ एवं संख्या, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
- 5— मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर / साईबर कोषागार, लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 6- अर्थ एवं संख्याधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
- 7- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक।
- 8- वेब इन्फोरमेशन अधिकारी, अर्थ एवं संख्या निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 9- व्यक्तिगत / स्थापना पत्रावली।

laultam